

MOST URGENT

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI  
(DEPARTMENT OF POWER)  
DELHI SECRETARIAT 8<sup>TH</sup> LEVEL, B-WING,  
I.P.ESTATE NEW DELHI – 110002

No.F.14(64)/ Power/VS/2021/3999

Dated: 30/12/2021

To

✓ The Dy. Secretary (Legislation),  
Question Branch,  
Delhi Vidhan Sabha,  
Old Secretariat  
Delhi – 110054

Sub: Un-Starred Question No.150

Sir,

Please find enclosed copy of reply of the Un-Starred Question No.150 for 04.12.2021 (100 Copies each along with a data in PDF File Format in pen drive) for your kind information and further necessary action at your end please.

Yours faithfully,

Encl. As above

  
30/12/2021

(R.S.Samria)

Dy. Director (Power)

Copy to:-

1. The Director, Directorate of Information and Publicity Department, Delhi Vidhan Sabha, Old Secretariat, Delhi - 110054 (150 Copies)
2. The OSD to Minister of Power, GNCTD

विभाग का नाम :- ऊर्जा विभाग

विभाग का पता :- आठवां तल, बी विंग, दिल्ली सचिवालय

अतारांकित प्रश्न संख्या-150

दिनांक :- 04.12.2021

प्रश्नकर्ता श्री अखिलेश पति त्रिपाठी

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

| प्रश्न                                                                                                                          | उत्तर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| क) अब तक विभाग के पास कितने बिजली कनेक्शन के आवेदन लंबित हैं, कारण सहित वरीयता कम से पूर्ण विवरण दें;                           | बिजली वितरण कंपनियों द्वारा सूचित किए गए लंबित बिजली कनेक्शनों का पूर्ण विवरण संलग्न है। (संलग्नक क)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ख) मॉडल टाउन विधान सभा क्षेत्र में बिजली विभाग के कुल कितने कनेक्शन हैं, पूर्ण विवरण दें;                                       | बिजली वितरण कम्पनी टीपीडीडीएल ने सूचित किया है कि मॉडल टाउन विधान सभा क्षेत्र में एक्टिव कनेक्शनों की संख्या 141560 है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ग) सरकार द्वारा मॉडल टाउन में ट्रांसफार्मर लगाने के लिए अधिग्रहित की गई जमीनों की सूची उपलब्ध कराए;                             | सरकार द्वारा मॉडल टाउन में ट्रांसफार्मर लगाने के लिए कोई जमीन अधिग्रहित नहीं की गई है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| घ) क्या ट्रांसफार्मर लगाने से पहले भूमि स्वामित्व वाले विभाग से एन ओ सी लेने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का पूर्ण विवरण दें; | डीईआरसी ने सूचित किया है कि ग्रिड सबस्टेशन, ट्रांसफार्मर, स्विच गियर, मीटर, उपकरण आदि के निर्माण और स्थापना के लिए स्थान डीईआरसी (आपूर्ति कोड तथा निष्पादन मानक) विनियम, 2017 के विनियम 22 के अनुसार किए जाते हैं। प्रतिलिपि संलग्न है (संलग्नक ख)<br>इसके अलावा, डीईआरसी आदेश दिनांक 31.08.2017 का खंड 6 (2) यह निर्धारित करता है कि ऐसे मामलों में जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा स्थान उपलब्ध कराया जाना है, वितरण लाइसेंसधारी उर्जा विभाग से सम्पर्क करेगा। |
| ङ) क्या यह सत्य है कि किसी औद्योगिक क्षेत्र में बिजली का कनेक्शन लेने के लिए आवेदक का लाइसेंस होना अनिवार्य है; और              | डीईआरसी ने सूचित किया है कि औद्योगिक कनेक्शन रखने के लिए, निम्नलिखित में से कोई भी दस्तावेज आवश्यक है:<br>(1) वैध औद्योगिक लाइसेंस; या<br>(2) फैक्टरी लाइसेंस; या<br>(3) घरेलू लाइसेंस; या<br>(4) ग्रामीण गांव के मामले में लाल डोरा प्रमाणपत्र; या<br>(5) उद्योग चलाने के लिए आवेदक को अधिकृत करने वाला कोई अन्य दस्तावेज                                                                                                                                                          |
| च) यदि हां, तो वो कब से लागू किया गया?                                                                                          | डीईआरसी ने सूचित किया है कि वैध औद्योगिक लाइसेंस का प्रावधान दिल्ली विद्युत आपूर्ति संहिता और निष्पादन मानक विनियम, 2007 में भी उपलब्ध था, जो 18.04.2007 से लागू था।<br>आयोग ने वित्त वर्ष 2004-05 के अपने टैरिफ आदेश में निम्नानुसार कहा है:                                                                                                                                                                                                                                       |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | कनेक्शन प्राप्त करने के लिए दिल्ली के गैर-अनुरूप क्षेत्रों में संचालित औद्योगिक इकाइयों द्वारा एमसीडी लाइसेंस प्राप्त करने के मुद्दे के संबंध में, आयोग ने अपने पिछले टैरिफ आदेश दिनांक 26.06.2003 में मौजूदा कनेक्शन के लिए एमसीडी लाइसेंस से जुड़े दुरुपयोग की शर्त को हटा दिया है। हालांकि, नए कनेक्शन के लिए एमसीडी लाइसेंस माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप लागू है। |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

सूचना सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित है।

 30/12/2021

(आर.एस.सामरिया)

उप-निदेशक (ऊर्जा)

R. S. SAMRIA  
Dy. Director  
Department of Power  
Govt. of NCT of Delhi  
Delhi Secretariat, New Delhi

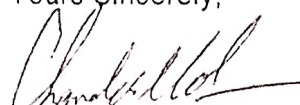
BRPL

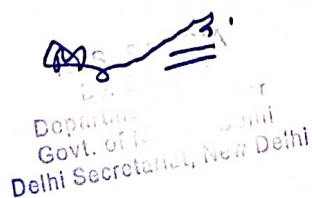
| New Connection Under Process Cases |                                                |                                                                    |             |
|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| Division                           | New Connections under process as per timelines | New connection request requiring further information from Customer | Grand Total |
| ALAKNANDA                          | 190                                            | 0                                                                  | 190         |
| KHAN PUR                           | 886                                            | 0                                                                  | 886         |
| NEW FRIENDS COLONY                 | 287                                            | 0                                                                  | 287         |
| NEHRU PLACE                        | 134                                            | 0                                                                  | 134         |
| NIZAMMUDIN                         | 261                                            | 5                                                                  | 266         |
| SARITA VIHAR                       | 174                                            | 0                                                                  | 174         |
| HAUZ KHAS                          | 81                                             | 0                                                                  | 81          |
| R.K.PURAM                          | 116                                            | 23                                                                 | 139         |
| SAKET                              | 1504                                           | 251                                                                | 1755        |
| VASANT KUNJ                        | 347                                            | 9                                                                  | 356         |
| JAFFARPUR                          | 123                                            | 0                                                                  | 123         |
| MUNDKA                             | 210                                            | 1                                                                  | 211         |
| NANGLOI                            | 430                                            | 0                                                                  | 430         |
| NAJAF GARH                         | 479                                            | 0                                                                  | 479         |
| PUNJABI BAGH                       | 90                                             | 0                                                                  | 90          |
| DWARKA                             | 271                                            | 0                                                                  | 271         |
| JANAK PURI                         | 180                                            | 0                                                                  | 180         |
| Mohan Garden                       | 316                                            | 0                                                                  | 316         |
| PALAM                              | 403                                            | 0                                                                  | 403         |
| TAGORE GARDEN                      | 81                                             | 0                                                                  | 81          |
| Uttar Nagar                        | 133                                            | 0                                                                  | 133         |
| VIKAS PURI                         | 196                                            | 0                                                                  | 196         |
| <b>Grand Total</b>                 | <b>6892</b>                                    | <b>289</b>                                                         | <b>7181</b> |

Out of the 7181 pending cases, 6892 cases are under process as per timelines and 289 cases are being pursued with consumers for completion of documentation.

Thanking You

Yours Sincerely,

  
Chander Mohan Sharma  
Head (O&M)

  
Department of  
Govt. of Delhi  
Delhi Secretariat, New Delhi



BYPL

150 'an'

| New Connection Under Process                                                                                                                                              |             |            |            |           |           |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|
| Division                                                                                                                                                                  | 0-2 Days    | 3-4 Days   | 5-7 Days   | 8-14 Days | >14 Days  | Grand Total |
| CHANDNI CHOWK                                                                                                                                                             | 56          | 0          | 0          | 0         | 0         | 56          |
| DARYA GANJ                                                                                                                                                                | 63          | 35         | 1          | 0         | 1         | 100         |
| PAHAR GANJ                                                                                                                                                                | 125         | 34         | 3          | 7         | 0         | 169         |
| PATEL NAGAR                                                                                                                                                               | 43          | 21         | 0          | 0         | 0         | 64          |
| SHANKER ROAD                                                                                                                                                              | 16          | 9          | 0          | 0         | 0         | 25          |
| G. T. ROAD                                                                                                                                                                | 34          | 16         | 0          | 1         | 12        | 63          |
| KARAWAL NAGAR                                                                                                                                                             | 168         | 3          | 0          | 0         | 0         | 171         |
| NAND NAGRI                                                                                                                                                                | 72          | 59         | 9          | 2         | 2         | 144         |
| YAMUNA VIHAR                                                                                                                                                              | 434         | 228        | 224        | 11        | 17        | 914         |
| KARKAR DOOMA                                                                                                                                                              | 34          | 12         | 0          | 0         | 0         | 46          |
| KRISHNA NAGAR                                                                                                                                                             | 45          | 53         | 30         | 2         | 0         | 130         |
| LAXMI NAGAR                                                                                                                                                               | 105         | 15         | 0          | 0         | 0         | 120         |
| MAYUR VIHAR                                                                                                                                                               | 0           | 58         | 0          | 0         | 0         | 58          |
| VASUNDHARA                                                                                                                                                                | 50          | 16         | 0          | 1         | 0         | 67          |
| <b>BYPL TOTAL</b>                                                                                                                                                         | <b>1245</b> | <b>559</b> | <b>267</b> | <b>24</b> | <b>32</b> | <b>2127</b> |
| Out of the 2127 pending cases, 2071 cases are under process as per prescribed timeline and 56 cases are being pursued with consumer to complete documentation formalities |             |            |            |           |           |             |
| We are tracking & monitoring the new connection applications, days wise as well as division wise.                                                                         |             |            |            |           |           |             |

  
 R. S. SAMRIA  
 Dy. Director  
 Department of Power  
 Govt. of NCT of Delhi  
 Delhi Secretariat, New Delhi

TPDDL

150 'n'

| Division      | New Connections under process as per timelines | New Connection requiring further information from customer | Grand Total |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|
| BADLI         | 48                                             | 1                                                          | 49          |
| BAWANA        | 10                                             |                                                            | 10          |
| CIVIL LINES   | 11                                             | 2                                                          | 13          |
| KESHAVPURAM   | 14                                             | 1                                                          | 15          |
| KIRARI        | 56                                             |                                                            | 56          |
| MANGOL PURI   | 7                                              |                                                            | 7           |
| MODEL TOWN    | 20                                             | 1                                                          | 21          |
| MOTI NAGAR    | 2                                              |                                                            | 2           |
| NARELA        | 98                                             | 2                                                          | 100         |
| PITAMPURA     | 4                                              |                                                            | 4           |
| ROHINI        | 20                                             |                                                            | 20          |
| SHALIMAR BAGH | 30                                             | 2                                                          | 32          |
| Grand Total   | 320                                            | 9                                                          | 329         |



R. S. SAMRIA  
Dy. Director  
Department of Power  
Govt. of NCT of Delhi  
Delhi Secretariat, New Delhi

के बाद उपभोक्ता को अर्जित ब्याज सहित प्रतिभूति जमा की शेष राशि डिमांड ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक विलयरेंस सिस्टम के माध्यम से वापस कर देगा:

और बशर्ते कि, उपभोक्ता प्रतिभूति जमा से बकाया के निपटारे का विकल्प चुन सकता है:

और बशर्ते कि बैंक गारंटी के मामले में, अंतिम बिल के भुगतान के 7 (सात) दिनों के भीतर उपभोक्ता को बैंक गारंटी वापस कर दी जाएगी।

## 21. सेवा लाइन सह विकास (एसएलडी):-

- (1) ऐसे मामलों में जहां किसी भी क्षेत्र को विकसित करने के लिए डेवलपर द्वारा प्रायोजित किया जाता है, विकासकर्ता द्वारा आयोग के आदेशों में लागू अनुसार निर्दिष्ट ईएचटी प्रणाली, एचटी सिस्टम, एलटी सिस्टम, सिविल वर्क, सर्विस लाइन, स्ट्रीट लाइट, सड़क बहाली प्रभार, और पर्यवेक्षण शुल्क की लागत के भुगतान पर लाइसेंसधारी द्वारा आपूर्ति के बिंदु तक विद्युतीकरण किया जाएगा:

और बशर्ते कि उपकरण के स्थानांतरण के मामले में इस तरह के काम के लिए पूरी लागत का भुगतान विकासकर्ता करेगा:

और बशर्ते कि लाइसेंसधारी, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ निर्धारण के नियमों और शर्तों) विनियम, 2017 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार, विकासकर्ता से प्राप्त की गई राशि और वास्तव में खर्च की गई लागत और अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, से प्राप्त राशि को समायोजित करेगा।

- (2) अगर क्षेत्र को विद्युतीकरण हो चुका है या लाइसेंसधारी द्वारा विद्युतीकरण किया जाने वाला है, तो उप-विनियमन (1) के तहत एक डेवलपर द्वारा विकसित क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर, आवेदक द्वारा आपूर्ति के बिंदु तक ईएचटी सिस्टम, एचटी सिस्टम, एलटी सिस्टम, सिविल वर्क, सर्विस लाइन, सड़क बहाली प्रभार, और आयोग के आदेशों में निर्दिष्ट रूप में निरीक्षण शुल्क इत्यादि के लिए लागू लागत के भुगतान पर नया कनेक्शन जारी किया जाएगा:

और बशर्ते कि, लोड में कमी के मामले में सेवा लाइन और विकास प्रभारों पर शुल्क नहीं लिया जाएगा और न ही वापस किया जाएगा:

और बशर्ते कि, यदि लोड की वृद्धि के मामले में सेवा लाइन वास्तव में बदली गई है, तो जैसा भी मामला हो, विद्युतीकृत क्षेत्रों या गैर विद्युतीकृत क्षेत्रों के लिए मौजूदा दरों के आधार पर सेवा लाइन और विकास प्रभार का अंतर उपभोक्ता द्वारा देय होगा:

[स्पष्टीकरण: उपभोक्ता द्वारा जमा किए गए सेवा लाइन और विकास प्रभार के सेवा लाइन और विकास प्रभारों की वास्तविक दरों के अनुरूप वृद्धि के बाद कुल भार के आधार पर गणना किया गया अंतर सेवा लाइन और विकास प्रभारों का अंतर होगा।]

यह भी कि समझौते की समाप्ति के मामले में सेवा लाइन सह विकास शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

- (3) सड़क काटने की अनुमति और अन्य आवश्यक मंजूरी आवेदक की ओर से लाइसेंसधारी द्वारा प्राप्त की जाएगी। उसकी लागत आवेदक से ली जाएगी और मांग नोट में उसे अलग से दिखाया जाएगा।
- (4) सेवा लाइन का रखरखाव लाइसेंसधारी द्वारा किया जाएगा

## 22. ग्रिड सबस्टेशन, ट्रांसफार्मर, सर्विस लाइन, मीटर और अन्य उपकरणों की स्थापना के लिए स्थान: -

- (1) लाइसेंसधारी से विद्युत की आपूर्ति के लिए आवेदन करने वाले विकासकर्ता या आवेदक, एक सुविधाजनक स्थान पर, उपभोक्ता और लाइसेंसधारी के बीच पारस्परिक रूप से सहमति से आयोग के आदेशों में अधिसूचित अपेक्षित आयामों के अनुसार ग्रिड सबस्टेशन, ट्रांसफार्मर, स्विच गियर, मीटर, उपकरण, इत्यादि का निर्माण और स्थापना के लिए स्थान, निशुल्क उपलब्ध कराएंगे:

यदि क्षेत्र में कोई विशिष्ट विकासकर्ता नहीं है और विद्यमान वितरण प्रणाली के संवर्धन में लोड की मांग को पूरा करने के लिए ग्रिड सबस्टेशन, ट्रांसफार्मर, स्विच गियर्स आदि की स्थापना की आवश्यकता है, तो वितरण लाइसेंसधारी ऐसे क्षेत्रों में उपलब्ध संभावित स्थान का संकेत करते हुए, इस तरह की आवश्यकता के पंद्रह दिनों के भीतर, स्थान के आवंटन के लिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संपर्क करेगा:

- (2) एचटी या ईएचटी नेटवर्क को छोड़कर, लाइसेंसधारी को उपभोक्ताओं के लिए विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति के लिए, उनकी सहमति के बिना उपभोक्ता के परिसर में उप-स्टेशन का उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं होगा:

और बशर्ते कि अन्य उपभोक्ताओं को विद्युत उपलब्ध कराने के लिए ऐसी संपत्तियों का उपयोग किसी भी तरह से उन उपभोक्ताओं की आपूर्ति को प्रभावित नहीं करेगा, जिनके लिए ऐसी संपत्ति मूल रूप से स्थापित की गई थी।

## 23. लाइसेंसधारी के मीटर और अन्य उपकरणों के लिए सुरक्षित स्थान: -

- (1) अपने परिसर में स्थापित मीटर को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी उपभोक्ता की होगी।

  
R. S. Sharma  
Dy. Secretary  
Department of  
Govt. of  
Delhi Secretariat, New Delhi